न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, 7आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः– राजस्व वाद/01/2016

सुल्तान बनाम **गोपीराम आदि**

दावा बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी बाबत वादपत्र को नामंजूर किये जाने

–:निर्णयः– **दिनांक – 22.05.2018**

प्रार्थीया/प्रतिवादीया सं. 12 भागोती देवी पत्नी गोपीराम कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त वाद न्यायालय में विचाराधीन है। यह कि प्रार्थीया, प्रतिवादी संख्या 1 की धर्मपत्नी होकर वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 12 के रुप में पक्षकार नियोजित हुई है।

यह कि प्रार्थी को अपने पति प्रतिवादी संख्या 1 से उसके कब्जा, काश्त खातेदार व सहहिस्सेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 393/2 रकबा 1.28 हैक्टेयर वाके ग्राम ढ़ाणी चैनदास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में से 0.47 हैक्टेयर भूमि सम्पूर्ण दिनांक 17.12.2015 को उपहार में प्राप्त हुई है। जिसकी प्रार्थीया बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है तथा प्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 17.12.2015 को उपहार पत्र निष्पादित व पंजिकृत करवाया गया था। जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज उक्त 0.47 हैक्टेयर भूमि की प्रार्थी बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है।

यह कि वादी ने माननीय न्यायालय हाज के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज उक्त 0.47 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। तथा वादपत्र की मद संख्या 2 में वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 गोपीराम से दिनांक 18.12.2015 को जरिये नोटरी इकरारनामा 4.25 बीघा कच्ची भूमि खरीदने को आधार बनाकर विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है परन्तु इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र विधि द्वारा वर्जित है। नाही किसी इकरारनामा के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को 4.25 बीधा भूमि का बचान नहीं किया था फिर भी वादी ने माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष विधि के प्रावधानों के विपरीत वादपत्र प्रस्तुत किया है। जिसकों इकरारनामा के आधार पर धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विभाजन का वाद लाने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्टेज पर वादपत्र काके नामंजूर किया जाना प्रार्थनीय है।

यह कि वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करने बाबत वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अर्थात वादी ने पुलिस थाना कोतवाली सीकर के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवा कर धोखाधड़ी करके रुपये हड़पने का आरोप लगाया है जिसमें नातो भूमि विक्रय करके कब्जा सम्भलाने का कथन किया, नाही वादग्रस्त कृषि भूमि पर कोई क्लेम किया जिस कारण तथाकथित इकरारनामा के आधार पर किसी भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का वादी लोकस्टण्डाई ही नहीं है। इसलिए वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

यह कि वादी ने वादपत्र की मद संख्या 5 में वादकारण अंकित किया है। उक्त वादकारण इकरारनामा की भूमि का विक्रय–पत्र करवाने से इन्कार होने का कथन करके वादकारण अंकित किया है। जबकि इकरारनामा के आधार पर राजस्व न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का वादकारण वादी को पैदा नही हुआ इसलिए वादकारण के अभाव में भी वादपत्र को नामंजूर किया जाना प्रार्थनीय हैं।

अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है। कि प्रार्थीया/प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर वादपत्र विधि द्वारा वर्जित होने एवं वादकारण उत्पन्न नहीं होने के कारण वादपत्र को इसी स्टेज पर नामंजूर करके खारिज किया जाने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर प्रार्थना–पत्र की प्रति वकील वादी को दिलवाई गई। उक्त प्रार्थना–पत्र का वकील वादी के द्वारा मद संख्या वार जबाब प्रस्तुत किया। प्रार्थीया/प्रतिवादीया सं. 12 भागोती देवी पत्नी गोपीराम कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का तथा वादी के अधिवक्ता कि ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र के जवाब का अवलोकन किया

Web Copy - Not Official

गया। जिसमें वादी के अधिवक्ता कि ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित किया है कि यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 1 स्वीकार है।

यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित तथ्य गलत है। अतः स्वीकार नहीं है, दिनांक 17.12.2015 को कतई फर्जी उपहार पत्र निष्पादीत करवाया है जिसको निरस्त करने के लिये अलग से कार्यवाही की जा रही है उक्त विवादित भूमि पर आज भी मौके पर वादी का कब्जा, काश्त हैं।

यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 3 में वादी द्वारा बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना स्वीकार है शेष इबारत गलत होने अस्वीकार है प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को जरिये इकरारनामा दिनांक 18.12.2015 नोटेरी से 4.25 बीघा कच्ची भूमि बेचान करने का करार किया था, इस स्टेज पर वादी का वाद न्यायहित में कानूनी रुप से खारिज किया जा सकता।

यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 4 गलत है अतः स्वीकार नहीं है वादी को वाद पेश करने विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करने का वाद कारण पैदा हुआ है इसलिये वादी का प्रतिवादी संख्या 12 का प्रार्थना–पत्र इसी स्टेज खारिज फरमाया जावें।

यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 5 गलत है अतः अस्वीकार नहीं है वादी को जरिये इकरारनामा वाद कारण पैदा हुआ हुआ है एवं इकरारनामें से पूर्व ही वादी को उक्त विवादित भूमि कब्जा वादी को मौखिक रुप से संभाल दिया था तभी से वादी उक्त विवादित भूमि पर काबिज है इसलिये को वाद पेश करने का वाद कारण हासिल हुआ।

अतः जबाब मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा प्रार्थना–पत्र इसी स्टेज पर सव्यय खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प सूठोठ में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर दिनांक 13.03.2018 को प्रार्थीया/प्रतिवादीया सं. 12 भागोती देवी पत्नी गोपीराम कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की बहस प्रार्थीया/प्रतिवादीया सं. 12 भागोती देवी के अभिभाषक द्वारा सुनी गई। उक्त प्रार्थना–पत्र पर वादी अभिभाषक ने बहस हेतु समय चाहा है। चूंकि पत्रावली आज कैम्प सूठोठ में प्रस्तुत है। जिसमें सम्पूर्ण पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात आदि के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण का निस्तारण में आवश्यक सभी बिन्दु व तथ्य स्पष्ट है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र के जवाब को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दावे का भी अवलोकन किया गया। उक्त अवलोकन से जाहिर है कि पत्रावली पर प्रार्थीया/प्रतिवादीया सं. 12 भागोती देवी पत्नी गोपीराम ने अपनी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के समर्थन में कुछ नजीरें पेश की जिसमें आरएलडब्ल्यू 2009(1) आरजे पेज 343 में वर्णित है कि ''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 88, 183, 207 सि.प्र.सं., आदेश 7 नियम 11– अपंजीकृत करार के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करना– अभिनिर्धारित– अंपीकृत करार के आधार पर दायर वाद को सुनने की अधिकारिता राजस्व न्यायालयों को नहीं है और न ही अपंजीकृत करार के आधार पर खातेदारी अधिकार अर्जित किये जा सकते है– इस आधार पर अधिकार एवं विनिर्दिष्ट अनुपालनार्थ वाद लाना ही होगा।'' चूंकि प्रकरण बंटवारे का है जिसमें वादी द्वारा अपंजीकृत इकरारारनामा के आधार पर बंटवारे का अनुतोष चाहा है। जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में प्रार्थीया/प्रतिवादीया सं. 12 भागोती देवी पत्नी गोपीराम की ओर से आपने पक्ष में प्रस्तुत नजीर, जिसमें आरएलडब्ल्यू 2009(1) आरजे पेज 343 भी वादी के दावे के खिलाफ प्रमाणित होती है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में चाहा गया अनुतोष इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से वादी का वाद विधिविरूद्ध व साबित नहीं होने से चलने योग्य नहीं है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थीया/प्रतिवादीया सं. 12 भागोती देवी पत्नी गोपीराम कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सारहीन व विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.05.2018 को कैम्प सूठोठ सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प सूठोठ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मण्गढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस

सुल्तान बनाम **गोपीराम आदि**

दावा बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

नम्बर मुकदमाः– राजस्व वाद/01/2016 निर्णय दिनांक– 22.05.2018

वादी.....व प्रतिवादीगण..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.05.2018 को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

अतः प्रार्थीया/प्रतिवादीया सं. 12 भागोती देवी पत्नी गोपीराम कि ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र सारहीन व विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो।

यह आज तारीख 22.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प सूठोठ

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प सूठोठ